न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– हरिसिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 62/2015
पंजीयन दिनांक 25.06.2015

1 लेहरी पत्नी रामलालजी जाति जाट निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. सीमा पुत्री शिवला उर्फ शिवलाल जाति जाट निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टगण

बनाम

1. शिवला उर्फ शिवलाल पिता रामाजी जाति जाट निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. प्यारा पिता रामाजी जाति जाट निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. प्रज्ञा पुत्री शिवला उर्फ शिवलाल पिता रामाजी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड चित्तौड़गढ़
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर भाखा पुठेली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
7. प्रवीण सोनी पिता कन्हैयालाल सोनी निवासी 19 महेशनगर चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अतंर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955
अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 66/2014 निर्णय दिनांक 10.06.2015

उपस्थित वक्त बहस– (1).चम्पालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांट
(2).दिनेशचन्द्र दायमा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7
(3).छोगालाल जाट– रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(4).पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक
(5). रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 – अुनपस्थित

निर्णय **दिनांक 23.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188,209 के अन्तर्गत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादीगण अपीलांटगण संख्या 1 व 2 एंव रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 मूलपुरूष रामलाल पिता छितर के वारिसान है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामलाल के पुत्र है। अपीलांट वादिया संख्या 1 रामलाल की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पत्नी व अपीलांट वादिया संख्या 2 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी संख्या 3 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शिवला उर्फ शिवलाल की जायन्दा पुत्रियां है तथा शिवला उर्फ शिवलाल की पत्नी कंकु फोत हो चुकी है। उक्तानुसार पारिवारिक सजरा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण अपीलांटगण व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक आराजीयात ग्राम गेणिया तहसील गंगरार में खाता संख्या 203 में वर्णित आराजी नम्बर 909 रकबा 3.65 हैक्टेयर स्थित है जो सेटलमेंट पूर्व गत आराजी नम्बर 152 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा , आराजी नम्बर 153 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 154 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 155 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा से बनी है जो सम्वत 2008 में रामा पिता छीतर के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी। उक्त वादग्रस्त आराजीयात जो कि पैतृक है व मूल पुरुष रामलाल पिता छीतर के जीवनकाल की है जो उनकी मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 960 से दिनांक 13.06.1967 के अनुसार गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रकॉर्ड कर दी गई जबकि वादिया अपीलांट संख्या 1 लेहरी व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड होना चाहिए था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से नामान्तरण फैसल कर अपीलांट वादिया संख्या 1 के नाम उक्त विवादित आराजीयात मे हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड नहीं हो सका, जिसकी जानकारी अपीलांट वादिया संख्या 1 को नहीं थी।

रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपीलांट वादियागण व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 को उनके हक व हिस्से से वंचित करने के उद्देश्य से वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय करने हेतु अन्य लोगों को उक्त आराजीयात का बेचान करने हेतु बताने लग गया है। दिनांक 18.06.14 को अपीलांट वादिया संख्या 2 को मारपीट कर घर से बाहर निकालकर वादीगण के हक व हिस्से की उक्त आराजीयात को विक्रय करने की धमकी दी। विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत से प्राप्त हुई है, जिसमें अपीलांटगण वादीगण का हक व हिस्सा निहित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांटगण वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट वादिया संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक व हिस्सा घोषित किये जाने के पश्चात रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हक व हिस्से में से अपीलांट वादिया संख्या 2 का 1/3 हक व हिस्सा अर्थात वादग्रस्त कुलिया आराजीयात का 1/9 हक व हिस्से की खातेदारी घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाकर अपीलांटगण वादीगण के हक व हिस्से में रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण कोई दखलंदाजी नहीं करे, न ही किसी अन्य से करावें, इस हेतु रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वादीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र के सम्बन्ध में दिनांक 10.06.2015 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण को विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होना बताकर वादीगण अपीलांटगण का वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय दिनांक 25.06.2015 को अंदर मियांद पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट के नोटिस जारी किए गये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में यह तथ्य अंकित किये कि वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति है जो कि स्वर्गीय रामलाल पिता छीतर के खातेदारी में सम्वत 2008 की जमाबंदी में दर्ज है। अपीलांट वादिया संख्या 1 स्वर्गीय रामलाल की पत्नी है जिसका वादग्रस्त आराजीयात में रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ बराबर 1/3 हक व हिस्सा निहित है। अपीलांट वादी संख्या 2 सीमा एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 प्रज्ञा दोनो रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा पुत्रियां है। विवादित आराजीयात के पैतृक होने के कारण कुलिया आराजीयात में अपीलांट वादिया संख्या 2 सीमा का 1/9 हक व हिस्सा निहित है, तदनुसार खातेदारी घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में दिनांक 27.06.2014 को प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.08.2014 को पंजीबद्ध किया गया। वाद पत्र के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 24.07.2014 को शिवलाल ने अपनी खातेदारी में दर्ज आराजीयात के 1/2 हिस्से में से सम्पूर्ण हिस्से को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय कर दिया। अपीलांट्गण वादीगण द्वारा केता को पक्षकार बनाने का संशोधित वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर केता को बिना आदेश व निर्णय के अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दिवानी का विचाराधीन रहते हुए बिना निर्णय के पक्षकार बना दिया गया। वाद प्रस्तुतीकरण के पश्चात, प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए किया गया विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2014 को निष्पादित व पंजीकृत करवा लिया जो अपीलांट्गण वादीगण को क्षति पहुंचाने की नियत से किया गया , जिसके संबंध में वादपत्र में संशोधन का आवेदन विचाराधीन रहते हुए भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अवैध रूप से वाद खारिज कर दिया गया। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किया कि कृषि आराजीयात के खातेदारी घोषणा मात्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है, प्रकरण के क्षेत्राधिकार बाबत कोई तनकियात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कायम नहीं की गई, न ही किसी पक्षकार की क्षैत्राधिकार के सम्बन्ध मे आपत्ति ही प्रस्तुत की गई। साथ ही यदि प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है तो वाद खारिज करने के स्थान पर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु लौटाया जाना चाहिये था, फिर भी उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्गण वादीगण का वादपत्र मे निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट्गण वादीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की। अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2014-15(Supp.) पेज 596 महेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती मूर्तिदेवी एण्ड अदर्स, आर.आर.टी. 2003 पार्ट-1 पेज 463, कलावती बनाम किशनसिंह, आर. आर.डी. नवम्बर 2002 पेज 691 राजस्व मण्डल द्वारा पारित घीसाराम एण्ड अदर्स बनाम चुन्नीलाल एण्ड अदर्स उक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार अपील मे चाही गई दाद दिलाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा विवादित आराजीयात का 1/2 हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जो कि उसके खातेदारी, स्वत्व, कब्जे व अधिकार में था जिसे विक्रय करने का अधिकार कानूनन पूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 को होने से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 1/2 हिस्से का विक्रय पत्र निष्पादित कर दिनांक 24.07.2014 को पंजीकृत करवाकर प्रतिफल प्राप्त करते हुए रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय कर दिया, जिसकी जानकारी होते हुए भी केता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 7 को अपीलांट्गण वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में दिनांक 10.06.2015 को निर्णय होने तक पक्षकार नहीं बनाया जो कि अवैधानिक है। साथ ही रामलाल की विरासत में लहरी द्वारा 40 वर्ष तक हिस्सा नहीं मांगा व दुर्भावना से वादपत्र दायर किया है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिफल अदा कर शिवलाल की जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार हिस्सा क्रय किया है। अपीलांट्गण वादीगण विक्रय पत्र को निरस्त करवाये बिना अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अन्त में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलान्ट्गण वादियागण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पैतृक कृषि आराजीयात मे अपने हक व अधिकारो की घोषणा के लिये रेस्पोडेन्ट्गण के विरूद्ध वादपत्र दिनांक 27.06.2014 को प्रस्तुत कर दिया था। उक्त वादपत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 7 ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से दिनांक 24.07.2014 को विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया गया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 11.08.2014 को बिना वादपत्र की रिपोर्ट किये वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर तक नही है। उक्त वादपत्र मे दिनांक 07.01.2015 को प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दिवानी प्रतिवादी सं. 3 की ओर से प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्रावली मे प्रतिवादी सं. 2 व 5 की तलबी अवशेष थी। जिसमे तलबी जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त पत्रावली मे दिनांक 14.05.2015 को तारीख पेशी नियत थी। जिसमे आगामी तारीख पेशी जिसमे पीठासीन अधिकारी के अनुमति व हस्ताक्षर के बिना सम्मन नोटिस जारी किये दिनांक 10.06.2015 को लोक अदालत मे नियत करके बिना पक्षकारान की आपत्ति के प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 व प्रार्थना आदेश 6 नियम 17 का निस्तारण किये बगैर बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत वादपत्र का गुणावगुण पर निर्णय किया जाकर अपीलान्ट्गण वादीगण का वादपत्र निरस्त किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने लोक अदालत के सम्बन्ध मे न्यायिक सिद्धान्त पारित किया है जो आर. एल.डब्ल्यु. 2008 पार्ट-2 पेज 975 मे स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि लोक अदालत विशुद्ध रूप से सुलह व पंचाट से सम्बन्धित है। पक्षकाराण के मध्य सुलह व पंचाट नही होने की स्थिति मे पत्रावली को उस न्यायालय को प्रेषित कर देनी चाहिये जिस न्यायालय से पत्रावली प्राप्त हुई है। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त न्यायिक दृष्टान्त को नजरदांज कर अपरिपक्व वादपत्र जो तामील एवं जवाब हेतु नियत था। उक्त वादपत्र को लोक अदालत के तहत बिना पक्षकारान की आपत्ति के राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए निर्णय दिया है। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2014-15(Supp.) पेज 596 महेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती मूर्तिदेवी एण्ड अदर्स, आर.आर.टी. 2003 पार्ट-1 पेज 463, कलावती बनाम किशनसिंह, आर.आर.डी. नवम्बर 2002 पेज 691 राजस्व मण्डल द्वारा पारित घीसाराम एण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अदर्स बनाम चुन्नीलाल एण्ड अदर्स मे भी यह व्यक्त किया है कि कृषि भूमि के सम्बन्ध मे जो दाद चाही गई है। उक्त दाद राजस्व न्यायालय के द्वारा ही दी जा सकती है। दोराने वाद किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता है तो अवैध माना जावेगा। जिससे भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को उक्त वादपत्र का विचारण किया जाकर गुणावगुण पर पारित किया जाना न्यायोचित था। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने क्षैत्राधिकार की आपत्ति को आधार बनाकर तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर वादपत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नही होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादियागण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली मे प्रस्तुत दृष्टान्तो का विश्लेषण कर पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 जो पेडिंग है का विधिवत निस्तारण कर शेष प्रतिवादीगण की तामील करवाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सिविल प्रक्रिया संहिता की पूर्ण पालना करते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्य प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ